GRPI-211-6L-11-94	V-190/CR.J.(e)
in the court of	264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898 Class Complaint or report made on
Name and address of the Complainant	शा0पु0गोहद चौराहा बनाम उदयसिंह
Name, parentage, caste and address of accused	
 उदयसिंह पुत्र रामप्रकाश जाटव उम्र 26 वि भिण्ड म.प्र. 	वर्ष निवासी ग्राम माता का पुरा थाना गोहद चौराहा जिला
TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	
The offence complaint of its alleged commission.	
आपने दिनांक 29 / 10 / 17 के 17:00 बजे ग्राम माता का परा गोहद जिला भिण्ड पर बिना वि	से 17:15 बजे के मध्य स्थान सरकारी हैण्डपम्प के पास केसी वैध अनुज्ञा पत्र के 25 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा को
	यम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस
न्यायालय के संज्ञान में है।	THE THE SHALL SET OF THE STATE CLASS QUE
The nlea of the accused and his examination (if any)	

The Offence proved, if any and in case cluse(d), clause(f)clause(g) or subsection(i) of section 260 the value of the property in respect of which of which the offence has been committed.

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

(निर्णय)

(आज दिनांक 06.11.2017 को घोषित)

- 1. आरोपी / गण के विरुद्ध म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अपराध के आरोप हैं।
- 2. आरोपी / गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया / किए हैं।
- 3. आरोपी / गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी / गण को धारा म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अपराध में सिद्धदोष ठहराया जाता है एवं आरोपी / आरोपीगण को उक्त अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2500 / —रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा में आरोपी / आरोपीगण को पांच दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।
- 4. प्रकरण में जब्तशुदा 25 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा विधिवत निराकरण हेतु जिला आबकारी अधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जावे।

स्थान— गोहद दिनांक— 02.11.2017

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY